न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 84/2016 **दायर दिनांकः 27.05.2016**

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण आयु 90 वर्ष पुत्र कन्हैया लाल जाति बृाह्मण निवासी श्री का चौक बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।
2. रामकन्या बाई उम्र 92 वर्ष बेवा भंवरलाल जाति बृाह्मण निवासी श्री जी का चौक बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. मंदिर श्री कल्याण राय जी बिराजमान बारां नाबालिंग बविलायत व्यवस्थापक व प्रबन्धक तहसीलदार अटरू तहसील अटरू जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त कोटा।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय बारां जिला बारां

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53, तथा धारा 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनांक 18.03.2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53, तथा धारा 188 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मंदिर श्री कल्याणराय जी एक नाबालिंग व्यक्ति है। जिसकी व्यवस्था वर्तमान समय में तहसीलदार अटरू देख रहे है तथा तहसील अटरू एक सरकारी व्यक्ति है जो नाबालिंग के वली है। अतः उनको नाबालिंग का वली बनाकर पेश किया जा रहा है। इस हेतु आदेश 32 का आवेदन अलग से प्रस्तुत कर दिया गया है। ग्राम छजावा तहसील अटरू में ख0नं0 422 रकबा 1.34 है0 व ख0नं0 423 रकबा 2.62 है0 कुल दो किता रकबा 3.96 है0 भूमि स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मंदिर श्री कल्याणराय जी बारां के नाम दर्ज है। उक्त आराजी को आगे विवादित अराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजी का साबिक

ख0नं0 255 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा था यह स्थित सं0 2013 से 2032 की खसरा सफाई सेटलमेन्ट विभाग के रिकार्ड में दर्ज थी तथा इस जमाबन्दी में कालम नं0 4 में विवादित भूमि माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी स्थान बारां पुजारी श्रीधर वल्द बंजरगा कौम बृाह्मण निवासी बारां के नाम दर्ज थी एवं कालम नं0 6 खुद काबिज का अंकन था। उस समय से ही मंदिर कल्याणराय जी की सेवा पूजा श्रीधर जी करते थे श्री धर जी के पारिवार सजरा निम्न प्रकार हैः–

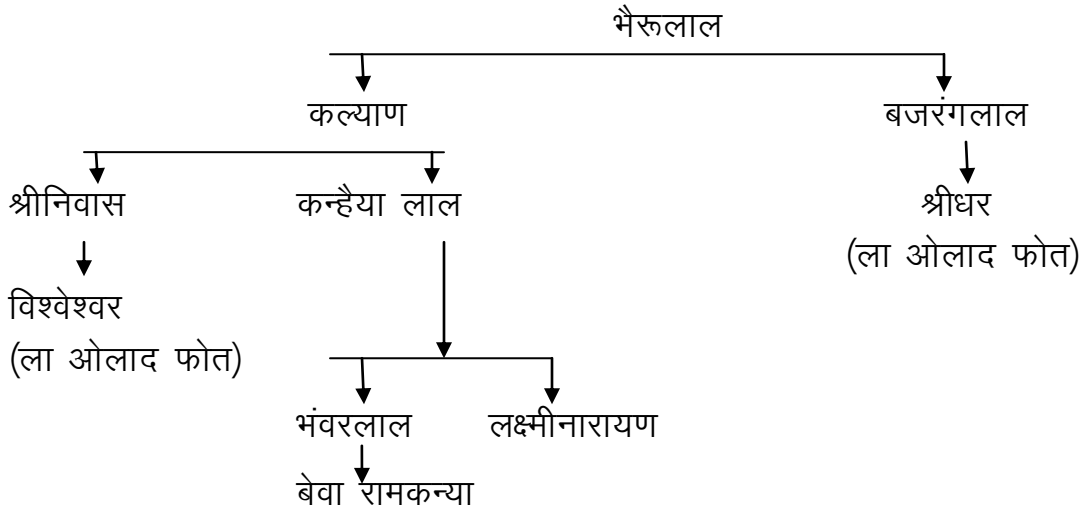

इस प्रकार श्री धर के वारिसान में प्रार्थीगण ही जीवित वारिसान है तथा वे ही वर्ममान समय में मंदिर कल्याणराय जी की सेवा पूजा करते चले आ रहे है। तथा तेल भोग की व्यवस्था करते है। इस कारण वादग्रस्त भूमियों को काश्त करने का प्रथम अधिकार वादीगण का बनता है। एवं वादीगण ही कात करते चले आ रहे है। किन्तु कुछ समय से प्रतिवादीगण मंदिर की सेवा पूजा वादीगण से करवाते है। किन्तु भूमियों की काश्त व्यवस्था के लिये नीलाम बोली जरिये काश्त व्यवस्था करवाने लग गये है। जिसका उनको कोई अधिकार हांसिल नही है। जबकि प्रार्थीगण उपरोक्त व्यवस्था अनुसार वादग्रस्त भूमियों को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है। गत वर्ष भी वादग्रस्त भूमियों को जरिये मुनाफा काश्त भूमियां काश्त की थी एवं इस वर्ष भी गत वर्ष के बराबर या उससे अधिक मुनाफा देकर प्रार्थीगण ही भूमियां काश्त कर रहा है। किन्तु प्रतिवादीगण बेवजह वादीगण को परेशान करते है एवं भूमियां काश्त नही करने देते है। इस कारण वादग्रस्त भूमियां वादीगण के कब्जे में रहना आवश्यक हो गया है। जबकि बिना किसी मुआवजे के ही प्रार्थीगण को वह भूमियां काश्त करने का पूर्ण अधिकार है। फिर भी प्रार्थीगण मंदिर की व्यवस्था के लिये कुछ रकम भी जमा करने को तैयार है। लेकिन दिनांक 01.05.2016 को प्रतिवादीगण ने

वादग्रस्त भूमियों की नीलामी की बोली फिक्स कर दी, बामुश्किल वादीगण के समझाने से प्रतिवादीगण माने। फिर भी एलानियां धमकी दी है कि अगले वर्ष हम यह भूमि आपकों काश्त नही करने देगें। अस्तु वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एवं नालशी है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों के कब्जे बाबत् किसी प्रकार की मदाखलत न स्वयं करें न अपने प्रतिनिधि/स्वजनों से करावें। इसकी एवज में वादीगण कुछ निश्चित राशि भी जो अदालत उचित समझे वह जमा करने को तैयार है। वाद पेश करने से पूर्व दिनांक 06.05.2016 को राज0 सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर बारां को नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 का अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवा दिया है जिसकी मियाद अभी समाप्त नही हुई है वाद आवश्यक प्रकृति का है। प्रतिवादीगण वादीगण को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण अविलम्ब न्यायालय सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। अस्तु धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के आवेदन के साथ वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 01.05.2016 को विवादित भूमियों की नीलामी बोली लगाने की धमकी देने व नीज दिनांक 06.05.2016 को नोटिस देने के फलस्वरूप ग्राम छजावा तहसील अटरू जिला बारां में पेदा हुआ। वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर वाद अवधि मध्य माननीय न्यायालय में पेश है। विवादित आराजी वाके ग्राम छजावा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है। इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

—:<u>प्रार्थना</u>:—

अतःवादी प्रार्थी है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित फरमायी जावेंः—

(क) मद नं0 2 में वर्णित विवादित भूमियों का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड मे उनका नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया। विकल्प रूप में मंदिर कल्याणराय जी के साथ बहैसियत पुजारी वादीगण का नाम अंकित करवाया जावें।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमियों पर वादीगण के कब्जे काश्त मं किसी प्रकार

की मदाखलत न स्वयं करें न अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(ग) वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई, प्रतिवादी क्रम 1 व 3 को जवाब दावा हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब दवा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 से PW_3 के शपथ पत्र पेश किये गये रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा कथन किया गया कि विवादित आराजी वाद पत्र की मद नं0 2 में अंकित भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। विकल्प में मंदिर कल्याणराय जी के पुजारी वादीगण का नाम अंकित किया जावें।

अभिभाषक वादीगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जमाबन्दी छजावा संवत् 2021 से 2024 ख0नं0 255 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा आराजी मंदिर श्री कल्याणराय जी बारां श्रीधर बल्द बजरंगा दर्ज है। जिसमें रिज्यूम शुदा का नोट अंकित है। इन्तकाल नं0 115 से गोपालदास पुत्र धन्नादास कौम बैरागी का नाम 23 बीघा 18 बिस्वा दर्ज खाता हुई।

जमाबन्दी ग्राम छजावा संवत् 2025 से 2028 में खाता सं0 217 में खातेदार गोपालदास पुत्र धन्नादास के नाम दर्ज हुई, रिज्यूम 1.08.60 की जमाबन्दी ग्राम छजावा 2029 से 2032 खाता नोट अंकित है। खाता संख्या 217 में खातेदार गोपालदास पुत्र धन्नादास दर्ज है। जमाबन्दी ग्राम छजावा संवत् 2033 से 2036 खाता संख्या 233 खातेदार गोपालदास पुत्र धन्नादास दर्ज है। जो इन्तकाल नं0 296 से जमनादास पुत्र गोपालदास के नाम खाता दर्ज हुआ।

जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 में वाद सेटलमेन्ट नये ख0नं0 422, 423 कुल किता 2 रकबा 3.96 है0 बनाये जाकर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के खाते दर्ज किया गया जिसकी प्रतिवर्ष बोली पुकरवाई जाकर मुनाफा काश्त करवाई जा रही है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि ग्राम छजावा की उपरोक्त विवादित भूमि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत् दिनांक 01.08.60 को माफी रिज्यूम शुदा आराजी थी

1. राजस्थान सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र 3 (2) राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के बिन्दु सं0 02 व 03 में उक्त प्रकार की भूमियों से परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा पुजारी का नाम हटाये जाने को अनुचित माना है। उक्त परिपत्र के बिन्दु सं0 02 के अनुसार तहसीलदार को इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेंस दायर करने के निर्देश दिये गये थे। ये निर्देश परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में भी थे। लेकिन तहसीलदार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की पालना में सभी प्रकरणों में समान निर्णय करते हुए पुजारी का नाम हटा दिया जो कि उचित नहीं है तथा उक्त परिपत्रों की भावना के अनुरूप नहीं है। इसी प्रकार राजस्व विभाग के परिपत्र प.3(2)/राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 में भी इस प्रकार से बिना किसी विधिक प्रक्रिया के पुजारी का नाम हटाये जाने को गलत माना है जो भूमियां रिज्यूमशुदा आराजी है।

   इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी अपने परिपत्र क्रमांक प 63/न्याय/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में पुजारी का नाम दर्ज किये जाने के निर्देश दिये है।

   माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ द्वारा प्रकरण सं. 520 मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज बनाम सरकार में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुजारी नाम जोड़ने के आदेश किये है तथा व्यवस्था दी है कि –''जब केसरदास का उक्त मंदिर श्री ठाकुर जी का पुजारी होना साबित है तो वह राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9, परिपत्र राजस्व विभाग (ग्रुप–6) दिनांक 24.05.2007, परिपत्र राजस्व विभाग (ग्रुप–6) दिनांक 25.11.2011 एवं राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश क्रमांक राम/न्याय/स्था./प–63/2005/12446–79 दिनांक 10.02.2011 के अनुसरण में वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड दुरूस्त कराकर मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज के साथ खुद को पुजारी दर्ज कराने का अधिकारी है।'' यह व्यवस्था प्रश्नगत प्रकरण में भी हुबहु लागू होती है।

2. राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में कथन किया गया है कि ''राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.1991 की निरन्तरता में परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/07/14 दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसके बिन्दु सं0 03 के अनुसार जिन कृषकों को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये परन्तु मूर्ति मंदिर की माफी भूमि मानकर दायर रेफरेंस केस लम्बित है उनका इस परिपत्र के अनुसार निस्तारण होने से निराकरण हो जाता है परन्तु उन मामलों में जो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अर्थात् रेफरेंस दायर किये बिना ही पत्र दिनांक 31.12.1991 की पालना में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी प्राप्त कृषकों की खातेदारी विलोपित कर दी है उनकी समस्या निराकरण किये जाने का परिपत्र दिनांक 24.05.2007 में स्पष्ट प्रावधान नहीं है ऐसे मामलों में धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्णीत किये जाने चाहिए।''

3. पुनः विवादित आराजी माफी रिज्यूम शुदा आराजी है तथा वादीगण का नाम पुजारी के रूप में विवादित आराजी के रूप में लगातार चला आ रहा था। यह कथन सही है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी आराजी पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते लेकिन मंदिर मूर्ति श्री कल्याण जी महाराज के पुजारी के रूप में वादीगण का नाम अंकित होने से ही वादीगण उक्त आराजी के खातेदार नहीं हो सकते। पूर्व में भी जब मंदिर मूर्ति के साथ पुजारी का नाम अंकित था तब भी पुजारी को आराजी पर स्वतंत्र खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं थे तथा पुजारी को मंदिर माफी की आराजी के अन्तरण का अधिकार नहीं था।

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे में कथन किया है कि ''किसी भी पुजारी के वारिसान द्वारा मंदिर मूर्ति की भूमियों को स्वयं के खाते दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है।''

प्रथम तो वादीगण द्वारा यह दावा विवादित आराजी मंदिर मूर्ति की भूमि को खाते दर्ज कराने हेतु पेश नहीं किया है बल्कि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 के अनुसरण में रिकार्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया है। वादीगण ने दावा पूर्व में मंदिर मूर्ति के साथ दर्ज पुजारी के नाम को जो कि बिना विधिक प्रक्रिया के हटा दिया गया था उसे रिकार्ड दुरूस्त कर पुनः अंकन

हेतु पेश किया है। पूर्व में जब मंदिर मूर्ति के साथ पुजारी का नाम अंकित था तब भी पुजारी को स्वतंत्र खातेदारी अधिकार नहीं थे यदि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मंदिर मूर्ति के साथ वादीगण को पुजारी दर्ज किया जाने के आदेश किये जाते है तो भी वादीगण को स्वतंत्र खातेदार के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे बल्कि आराजी मंदिर मूर्ति की खातेदारी में ही रहेगी। वादीगण केवल पुजारी ही दर्ज रहेंगे।

द्वितीयतः यदि अप्रार्थी को मंदिर मूर्ति के साथ अंकित पुजारी के नाम पर आपत्ति थी तो परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व 25.11.2011 के निर्देशानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सक्षम न्यायालय में रेफरेंस दायर करना चाहिए था तथा उसके निर्णयानुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी लेकिन प्रतिवादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया जाकर सीधे ही रिज्यूम शुदा आराजी से पुजारी का नाम हटा दिया। इसी प्रकार देव स्थान विभाग द्वारा भी आज दिनांक इनके वेतन का निर्धारण भी नही किया गया। तेल भोग की व्यवस्था उन्हें उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है। विवादित आराजी ग्राम छजावा की ख0नं0 422 रकबा 1.34 है0 व ख0नं0 423 रकबा 2.62 है0 किता 2 रकबा 3.96 है0 आराजी मे रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर मंदिर श्री कल्याणराय जी बारां खातेदार के साथ देवस्थान विभाग द्वारा वेतन का निर्धारण न किये जाने तक पुजारी वादीगण लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल व रामकन्या बाई बेवा भंवरलाल का नाम दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। वादीगण को उक्त भूमि रहन बैचान का अधिकार नही होगा। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 84/2016

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण आयु 90 वर्ष पुत्र कन्हैया लाल जाति बृाह्मण निवासी श्री का चौक बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।
2. रामकन्या बाई उम्र 92 वर्ष बेवा भंवरलाल जाति बृाह्मण निवासी श्री जी का चौक बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. मंदिर श्री कल्याण राय जी बिराजमान बारां नाबालिंग बविलायत व्यवस्थापक व प्रबन्धक तहसीलदार अटरू तहसील अटरू जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त कोटा।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय बारां जिला बारां।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53, तथा धारा 188 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम छजावा की ख0नं0 422 रकबा 1.34 है0 व ख0नं0 423 रकबा 2.62 है0 किता 2 रकबा 3.96 है0 आराजी मे रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर मंदिर श्री कल्याणराय जी बारां खातेदार के साथ देवस्थान विभाग द्वारा वेतन का निर्धारण न किये जाने तक पुजारी वादीगण लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल व रामकन्या बाई बेवा भंवरलाल का नाम दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। वादीगण को उक्त भूमि रहन बैचान का अधिकार नही होगा। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 11:18:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: